मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 37 सन् 1995

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995

विषय सूची

धारायें :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.
3. विश्वविद्यालय.
4. विश्वविद्यालय की शक्तियां.
5. अधिकारिता.
6. सभी वर्गों, जातियों और पथों के लिये विश्वविद्यालय का खुला होना.
7. विद्यार्थियों का निवास.
8. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
9. कुलाधिपति.
10. कुलपति.
11. प्रति–कुलपति.
12. प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूलों) के संकायाध्यक्ष.
13. कुल सचिव.
14. वित्त अधिकारी.
15. अन्य अधिकारी.
16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
17. प्रबंध बोर्ड.
18. प्रबंध बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य.
19. विद्या परिषद्.
20. योजना बोर्ड.
21. प्राध्ययन केन्द्रों का बोर्ड.
22. वित्त समिति.
23. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी.
24. परिनियम बनाने की शक्ति.

25. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

26. अध्यादेश बनाने की शक्ति.

27. विनियम.

28. वार्षिक रिपोर्ट.

29. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.

30. विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील तथा माध्यस्थम् की प्रक्रिया.

31. अपील का अधिकार.

32. भविष्य तथा पेंशन निधि.

33. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के पठन के बारे में विवाद.

34. समितियों का गठन.

35. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.

36. विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना.

37. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

38. सक्रमण कालीन उपबंध.

39. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 37 सन् 1995

महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995

(दिनांक 25 नवम्बर,1995 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 29 नवम्बर, 1995 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.)

मध्यप्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और वैदिक विद्या तथा पद्धति के अनुसंधान को अग्रसर करने और उसमें शिक्षा देने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस नियम का संक्षिप्त नाम महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिनियम द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द" से अभिप्रेत है कर्मचारिवृन्द के ऐसे प्रवर्ग जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के रूप में अभिहित किए गए हैं;

(ग) "प्रबंध बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से अभिप्रेत है क्रमशः विश्वविद्यालय का "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति कुलपति";

(च) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय;

[1](चच) "आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(छ) "विभाग" से अभिप्रेत है प्राध्ययन विभाग और उसके अंतर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेन्टर आफ स्टडीज) ;

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से अभिप्रेत है शिक्षा देने की ऐसी पद्धति जो प्रसारण (ब्राडकास्टिंग) दूरदर्शन–प्रेषण (टेलीकास्टिंग) जैसे संचार के साधनों, पत्राचार पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों (सेमिनार) संपर्क कार्यक्रम या ऐसे साधनों मे से किन्हीं दो या अधिक के संयोजन के माध्यम से दी जाए ;

(झ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत है विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द;

(ञ) "वित्त समिति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की वित्त समिति;

(ट) "छात्र निवास" (हाल) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय या संस्था के विद्याथियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की ईकाई;

(ठ) "संस्था" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई शैक्षणिक संस्था जो महाविद्यालय नहीं है;

(ड) "योजना बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड;

(ढ) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था का प्रधान और जब कोई प्राचार्य न हो तो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है और प्राचार्य या कार्यकारी

प्राचार्य की अनुपस्थिति मे उप प्राचार्य जिसे कि इस रूप में सम्यक् रूपेण नियुक्त किया गया है;

(ण) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्रेत है उच्च विद्या प्रदान करने वाली कोई संस्था जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(त) "मान्यता प्राप्त अध्यापक" से अभिप्रेत है ऐस व्यक्ति जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जाएं;

(थ) "विनियम" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम जो तत्समय प्रवृत्त हों;

(द) "प्राध्ययन केन्द" (स्कूल) से विश्वविद्यालय का प्राध्ययन केन्द्र अभिप्रेत है;

[2](दद) "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय पीठम् ;

(ध) "परिनियम" और "अध्यादेश" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त क्रमशः परिनियम और अध्यादेश;

(न) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर) , उपाचार्य (रीडर) ,प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में या संस्था मे जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है शिक्षा देने के लिय या अनुसंधान कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं, और जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में अभिहित किए गए है;

(प) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय;

(फ) "वर्ष"से अभिप्रेत है तीस जून को समाप्त होने वाली बारह मास की कालावधि;

विश्वविद्यालय

3. (1) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के नाम के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा.

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय ग्राम करोदी, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश में होगा तथा वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी जैसा कि वह उचित समझे शिक्षा केन्द्र (केम्पस) स्थापित कर सकेगा.

(3) प्रथम कुलाधिपति, कुलपति और प्रबंध बोर्ड या विद्या परिषद या योजना बोर्ड के प्रथम सदस्य और ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाएं, जब तक कि वे ऐसा पद या ऐसी सदस्याता धारण किए रहते हैं मिलाकर एतद् द्वारा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है.

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां

[3]4. विश्वविद्यालय को निम्न लिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्ः–

(एक) केवल वैदिक विद्या तथा पद्धति की समस्त शाखाओं में, जिसमें दर्शन, आगम तंत्र, इतिहास, पुराण, उपवेद और ज्ञान–विज्ञान सम्मिलित हैं, शिक्षण के लिए तथा संस्कृत के अध्ययन की प्रोन्नति तथा विकास के लिए जिन्हे विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, व्यवस्था करना और उपरोक्तक्षेत्रों में अनुसंधान के लिए और अभिवर्धन के लिए व्यवस्था करना और इन क्षेत्र में वह,–

(क) ऐसी शर्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा, मूल्यांकन या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर उपाधिपत्र या

प्रमाण–पत्र दे सकेगा और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान कर सकेगा और ऐसे उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं को उचित तथा पर्याप्त कारणों से वापस ले सकेगा;

(ख) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवा आयोजित कर सकेगा और उसका जिम्मा ले सकेगा;

(ग) सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में प्रदान कर सकेगा;

(घ) दूर शिक्षा पद्धति द्वारा सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा;

(ड.) उच्च विद्या प्रदान करने वाली संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे मान्यता दे सकेगा तथा ऐसी मान्यता को वापस ले सकेगा;

(च) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकारी या उच्च विद्या प्रदान करने वाली किसी अन्य संस्था के साथ सहकार कर सकेगा या सहयोग कर सकेगा या उनके साथ सहयुक्त हो सकेगा;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां , वृत्तिका, पदक तथा पुरस्कार संस्थित कर सकेगा और दे सकेगा;

(ज) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबंध कर सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसा ठहराव कर सकेगा जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(झ) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (कोर्सेस) , अभिविन्यास(ओरिएण्टेशन) पाठ्यक्रमों, कर्मशालाओं, विचार गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगा और उनका संचालन कर सकेगा;

(दो) किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्था में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(तीन) उन व्यक्तियों को, जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठन में कार्य कर रहे हों, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त करना;

(चार) अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(पांच) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे शिक्षा केन्द्रों, विशेष केन्द्रों, विशेषज्ञीय प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(छह) महाविद्यालयों, संस्थाओं तथा छात्र निवासों को स्थापित करना तथा उनको संधारित करना;

(सात) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में ऐसे विशेष इन्तजाम करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(आठ) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) , प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्धानों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें, संविदा पर नियुक्त करना;

(नौ) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति, किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण का कोई अन्य तरीका सम्मिलित हो सकेगा;

(ग्यारह) प्रवेश के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थान नियत करना;

(बारह) फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना;

(चौदह) कर्मचारियों के सभी प्रवर्गों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचरण संहिता भी है, अधिकथित करना;

(पंद्रह) विद्यार्थियों और कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना तथा इस संबंध में ऐसे अन्य अनुशासनात्मक उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(सोलह) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण मे अभिवृद्धि करने हेतु इंतजाम करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और कोई जंगम या स्थावर संपत्ति, जिसके अंतर्गत न्यास तथा विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, प्रबंध करना और उसका व्ययन करना;

(अठारह) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(उन्नीस) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों:

परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भी पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा और कोई भी केन्द्र स्थापित नहीं किये जाएंगे या चलाए नहीं जाएंगे.

अधिकारिता

5. विश्वविद्यालय की आधिकारिता का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए विश्वविद्यालय का खुला होना

6. विश्वविद्यालय समस्त स्त्रियों और पुरूषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश, वर्ग, अधिवास स्थान के हों और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी

व्यक्ति को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय मे विद्यार्थी के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या वहां से स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए, धामिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई परीक्षण अपनाए अथवा उस पर अधिरोपित करे:

परन्तु इस धारा में की किसी भी बात के संबंध में यह नही समझा जाएगा कि वह विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारिरिक रूप से विकलांग या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की और विशिष्टतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के नियोजन या शैक्षणिक हितों के प्रोन्नयन के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित करती है.

7. दूर शिक्षा पद्धति द्वारा पाठ्यक्रम का अनुसारण करने वाले विद्यार्थी से भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी सामान्यतया किसी छात्र निवास या छात्रावास में ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं.

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

1. कुलाधिपति;
2. कुलपति;
3. प्रति कुलपति;
4. प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) के संकायाध्यक्ष;
5. कुल सचिव;
6. वित्त अधिकारी; और
7. ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं;

9. (1) महर्षि महेश योगी प्रथम कुलाधिपति होंगे और अपने जीवन पर्यन्त पद धारण करेंगे.

[4](2) प्रथम कुलाधिपति के पश्चात्, प्रबंधन बोर्ड तीन व्यत्तियों का एक पैनल तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, राज्य सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, प्रबंध बोर्ड

द्वारा, पैनल में से एक व्यक्ति को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार नियुक्त कुलाधिपति चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(3) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा.

(4) कुलाधिपति, उपस्थित होने पर, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकेगी जो आवश्यक हो.

10. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति में की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए.

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक प्रमुख होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा.

(3) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक है, किसी भी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदान की गई है और ऐसे मामले में अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नही की जानी चाहिए थी, तो वह मामले को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि वह उस कार्रवाई के विरूद्ध अपील प्रबंध बोर्ड को उस तारीख से तीन मास के भीतर करे जिसको उसे विनिश्चय या उस कार्रवाई की संसूचना दी जाती है और तदुपरि प्रबंध बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपान्तरित कर सकेगा या उसे पलट सकेगा.

(4) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा उस प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों के परे है या यह कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, संबंधित प्राधिकारी से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर करे और यदि वह प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर उसके द्वारा उस पर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं.

प्रति–कुलपति

11. एक या अधिक प्रति–कुलपति ऐसी रीति में नियुक्त किए जा सकेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूलों) के संकायाध्यक्ष

12. किसी प्राध्ययन केन्द्र (स्कूल) का प्रत्येक संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

कुल सचिव

13. (1) कुल सचिव ऐसी रीति मे नियुक्त किया जाएगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए.

(2) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे

कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए.

वित्त अधिकारी

14. वित्त अधिकारी ऐसी रीति मे नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वाारा विहित किया जाए.

अन्य अधिकारी

15. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(1) प्रबंध बोर्ड;

(2) विद्या—परिषद्;

(3) योजना बोर्ड;

(4) अध्ययन बोर्ड;

(5) वित्त समिति; और

(6) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं.

प्रबंध बोर्ड

17. (1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) कुलपति;

(दो) प्रति—कुलपति;

(तीन) प्राध्ययन केन्द्रों (स्कूल ऑफ स्टडीज) का संकायाध्यक्ष जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(चार) विश्वविद्यालय का एक विभागाध्यक्ष जो संकायाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नाम निर्देशित किया जाएगा;

(पांच) एक आचार्य (प्रोफेसर) जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(छह) एक उपाचार्य (रीडर) जो विभागाध्यक्ष नहीं हो, कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

(सात) एक प्राध्यापक जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जाएगा;

[5](आठ) प्रमुख सचिव/भारसाधक सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो;

[6](नौ) शिक्षा के क्षेत्र में दो विख्यात विद्वान जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

[7](दस) वैदिक शिक्षा में सार्वजनिक जीवन में विशिष्टता प्राप्त चार व्यक्ति जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्य, उस रूप में उनके नाम निर्देशन अथवा नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे.

(3) बोर्ड के सम्मिलन के लिए प्रबंध बोर्ड के सात सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

प्रबंध बोर्ड की शक्तियां तथा कृत्य

18. (1) प्रबंध बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व तथा संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की ओर विश्वविद्यालय के उन समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके संबंध में अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी.

(2) प्रबंध बोर्ड को इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्य ओर सेवा की शर्ते परिभाषित करना:

परन्तु प्रबंध बोर्ड द्वारा अध्यापकों तथा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों के संबंध में कोई भी कार्रवाई विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं;

(दो) इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर ऐसे आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द जैसे कि आवश्यक हो और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थाओं के प्राचार्यों को नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(तीन) प्रशासनिक, अनुसचिवीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना और उसमे ऐसी रीति में नियुक्तियां करना, जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए;

(चार) कुलाधिपति तथा कुलपति को छोडकर विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की अनुपस्थिति—छुट्टी मंजूर करना और ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(पांच) परिनियमों ओर अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उसे लागू कराना;

(छह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, विनिधान, संपत्ति, कामकाज तथा समस्त अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का

प्रबंध करना और उनका विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) वित्त समिति की सिफारिशों पर किसी वर्ष में कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के किसी भी धन का जिसमें अनुपयोजित आय भी सम्मिलित है, समय समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, अंशों या प्रतिभूतियों में, जैसे कि वह उचित समझे, विनिधान करना या भारत में स्थावर सम्पत्ति के प्रयोजन के लिए, ऐसे भिन्न–भिन्न विनिधानों को करने की वैसी ही शक्तियों के साथ समय–समय पर विनिधान करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना;

(दस) विश्वविधालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उन्हें निष्पादित करना और उन्हे रदद् करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और विद्यार्थियों की, जो किसी भी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि उचित समझी जाए तो उन्हें दूर करना;

(तेरह) विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और अनुसीमकों (माडरेटर) को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हे हटाना, और उनकी फीस, उपलब्धियां और यात्रा एवं भत्ते नियत करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उसका उपयोग करने के लिए उपबंध करना;

(पंद्रह) महिला विद्यार्थियों के निवास और अनुशासन के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना जैसे कि आवश्यक हों;

(सोलह) अपनी शक्तियों में से किन्हीं ऐसी शक्तियों को, जैसी कि वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्षों, कुल सचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी ऐसी समिति को प्रत्यायोजित करना;

(सत्रह) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(अठारह) अभ्यागत आचार्यों (विजिटिंग प्रोफेसर) , प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति के लिए उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निवधन तथा शर्ते अवधारित करना; और

(उन्नीस) ऐसी अन्य शाक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम या परिनियमो द्वारा उसे प्रदत की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाए.

विद्या परिषद्

19. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमो का समन्वय करेगी और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी.

(2) विद्या परिषद् का गठन, उनके सदस्यों की पदावधि और उसकी शाक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

योजना बोर्ड

20. (1) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा.

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमो द्वारा विहित किए जाएंगेः

परन्तु योजना बोर्ड में अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.

प्राध्यपन केन्द्रों का बोर्ड

21. प्राध्ययन केन्द्रों के बोर्ड (बोर्ड ऑफ स्कूल) का गठन, उसकी शत्तिग्यां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे.

वित्त समिति

22. वित्त समिति का गठन, उसकी शत्तिग्यां और कृत्य परिनियमो द्वारा किए जाएंगे.

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

23. ऐसे अन्य प्राधिकारियो का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शत्तिग्यां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएगे.

परिनियम बनाने की शक्ति

24. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों का जो समय—समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां तथा कृत्य;

(ख) उपरोक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन, उनका पद पर बना रहना, जिसमें सदस्यों के रिक्त स्थानों का भरा जाना सम्मिलित है और उन प्राधिकारियों तथा निकायों से संबंधित समस्त अन्य मामले;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्ते जिनके अंतर्गत अनुशासनात्मक मामले सम्मिलित हैं;

(ड.) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत अध्यापकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिये किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियो या विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के मध्य विवाद के मामलों में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(छ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की किसी कार्रवाई के विरूद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थी द्वारा प्रबंध बोर्ड को अपील करने के लिए प्रक्रिया;

(ज) किसी महाविद्यालय या संस्था या किसी विभाग को स्वशासी प्रास्थिति प्रदान किया जाना;

(झ) प्राध्ययन केन्द्रों, विभागों, केन्द्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उनका उत्सादन;

(ञ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस लिया जाना;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों ओर पुरस्कारों को संस्थित किया जाना;

(ड) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ढ) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखा जाना;

(ण) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है.

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.

25. (1) प्रबंध बोर्ड, समय–समय पर ऐसे परिनियम बना सकेगा जो अधिनियम के उददश्यो से संगत होः

पंरतु प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शास्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी

परिनियम को तब तक नहीं बनाएगा, उसे संशोधित या निरसित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर प्रबंध बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा.

(2) प्रत्येक परिनियम या किसी परिनियम में किसी संशोधन या उसके निरसन के लिए कुलाधिपति की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति रोक सकेगा या उसे प्रबंध बोर्ड को पुनर्विचार के लिए भेज सकेगा.

(3) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में प्रबंध बोर्ड को निदेश दे सकेगा, कि वह कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी माामले के संबंध में परिनियमों में उपबंध करे और यदि प्रबंध बोर्ड ऐसे निदेश का, उसकी प्राप्ति से साठ दिन के भीतर क्रियान्वयन करने में असमर्थ रहता है तो कुलाधिपति, प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित किए गए कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उसे यथोचित रूप से संशोधित कर सकेगा.

अध्यादेश बनाने की शक्ति

26. (1) समस्त अध्यादेश, कुलपति द्वारा प्रबंध बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण—पत्रों के लिए अधिकथित किया जानेवाला पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण–पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान की जाना, उनके लिए अर्हताएं और उनके प्रदान किए जाने तथा अभिप्राप्त किए जाने के संबंध में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों हेतु और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए प्रवेश देने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों तथा पुरस्कारों के प्रदान किए जाने के लिए शर्ते;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों ओर अनुसीमकों (मॉडरेटर्स) की पदावधि, नियुक्ति की रीति तथा कर्त्तव्य सम्मिलित है;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्ते ;

(झ) विशेष इन्तजाम, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकते हों और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डो, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों जिनमें विद्वत निकाय या संगम सम्मिलित है के साथ सहकार तथा सहयोग की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का सृजन, उसकी संरचना तथा उसके कृत्य जो विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझे जाएं;

(ढ) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचावृन्द के ऐसे अन्य निबंधन तथा सेवा की शर्ते जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं की गई है;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालयों तथा संस्थाओं का प्रबंध;

(त) कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करना ; और

(थ) समस्त अन्य ऐसे विषय जिनके संबंध में अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना इस अधिनियम के परिनियमों द्वारा घोषित है.

विनियम

27. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अपने स्वयं के और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हो, और जिनके कि लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कोई उपबंध नहीं किया गया है कामकाज के संचालन के लिए ऐसे विनियम बना सकेगे जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हो.

वार्षिक रिपोर्ट

28. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा सम्यक्‌रूपेण संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा तुलनपत्र सम्मिलित हैं प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन प्रति वर्ष तैयार की जाएगी और उसमें अन्य विषयों के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपायो को भी सम्मिलित किया जाएगा.

(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बरको या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर को या उसके पूर्व राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशक्य शीघ्र उसे विधान सभा के समक्ष रखवाएगी.

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

29. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा. ऐसी संविदा विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी .

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के मध्य किसी संविदा से उद्भूत कोई विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर एक ऐसे माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें प्रबंध बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक सदस्य तथा कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिनिर्णायक सम्मिलित होगा.

(3) ऐसे मामले में अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा.

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील तथा माध्यस्थ की प्रक्रिया

30. (1) परीक्षा के लिए कोई विद्यार्थी या अभ्यर्थी, जिसका नाम, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति द्वारा आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा और प्रबंध बोर्ड, यथास्थिति कुलपति या समिति के विनिश्चय की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपातरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यार्थी के विरूद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उद्भूत कोई विवाद, ऐसे विद्यार्थी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 29 की उपधारा (2) ,(3) तथा (4) के उपबंध यथाशक्य, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होगे.

अपील का अधिकार

31. विश्वविद्यालय के या किसी महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या विद्यार्थी को, इस अधिनियम मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विरूद्ध प्रबंध बोर्ड को अपील ऐसे समय के भीतर करने का अधिकार होगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, और तदुपरांत प्रबंध बोर्ड ऐसे विनिश्चय की जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा.

विन्यास निधि की स्थापना

[8]31—क (1) प्रायोजक निकाय एक निधि स्थापित करेगा जो स्थायी विन्यास निधि कहलाएगी, जिसमें वह राज्य सरकार द्वारा जारी की गई या प्रत्याभूत की गई प्रतिभूतियों में विनिधान करेगा और विनिधान किए रहेगा.

(2) स्थाई विन्यास निधि, ढाई करोड़ रूपए की राशि से या तीन वर्ष के आवर्ती व्ययों के समतुल्य राशि से, इनमें से जो भी अधिक हो, मिलकर बनेगी, राज्य सरकार की दीर्घकालिक ब्याज वाली प्रतिभूतियों में या किन्हीं ऐसी अन्य प्रतिभूतियों मे, जिन्हें राज्य सरकार इस निमित्त अनुमोदित करे, रखी जायेगी.

साधारण निधि

[9]31—ख विश्वविद्यालय की भी एक निधि होगी जो साधारण निधि कहलाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी —

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस तथा अन्य प्रभार;

(ख) स्थायी विन्यास निधि से आय;

(ग) किसी अन्य स्त्रोत से आय; और

(घ) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गए कोई अभिदाय.

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा.

[10]31 ग विश्वविद्यालय, राज्य सरकार से या उसके स्वामित्व के या उसके व्दारा नियंत्रित किसी अन्य संस्था से सहायता अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

भविष्य तथा पेंशन निधि

32. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तो के अध्यधीन रखते हुए जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि गठित करेगा तथा ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा कि वह उचित समझे.

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों के गठन के बारे में विवाद

33. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक्‌रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

समितियों का गठन

34. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां अन्यथा उपबंधित के सिवाय ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसा अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे.

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

35. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तयां, यथाशक्य शीघ्र, उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और इस प्रकार किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस व्यक्ति की अवशिष्ट अवधि के लिए रहेगा जिस व्यक्ति के स्थान की उसने पूर्ति की हो.

विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहीयों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना

36. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्त या रिक्तियां विद्यमान हैं.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

37. किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशायित रहा है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होगी.

कतिपय परिस्थितियों में उपाधियों आदि की मान्यता वापस लेना.

[11]37—क. (1) यदि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आती है कि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध और उसके द्वारा विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी भी निदेश का अतिक्रमण हुआ है या विश्वविद्यालय के कुप्रबंध की शिकायत की प्राप्ति पर वह विश्वविद्यालय को यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगी की वह ऐसे समय के भीतर जो पैंतालिस दिन से कम नहीं होगा कारण बताए कि क्यों न उसके द्वारा प्रदान किये जाने वाले उपाधिपत्रों या प्रमाण—पत्रों या प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं की राज्य सरकार द्वारा मान्यता वापस कर दिए जाएं.

(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त होने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि कुप्रबंध या इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन जारी किए गए निदेशों के अतिक्रमण का प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो वह ऐसी जांच का, जैसी कि वह उचित समझे, आदेश करेगी.

(3) राज्य सरकार, उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अभिकथनों की जांच करने तथा उस पर रिपोर्ट देनें के लिए जांच प्राधिकारी के रूप में नियुक्तकरेगी.

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्तकिए गए प्रत्येक जांच प्राधिकारी को निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908(1908 का सं. 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:—

(क) साक्षियों को समन कराना तथा हाजिर करना और शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री के, जो साक्ष्य के रूप में पेश करने योग्य है, प्रकटीकरण तथा पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यापेक्षा करना;

(घ) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा विहित किया जाए.

(5) प्रत्येक जांच प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 क सं. 2) की धारा 195 तथा अध्याय छब्बीस के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा.

(6) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रबंध है या उसने राज्य सरकार के किन्हीं निदेशों या इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किया है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, आगामी सत्र से प्रदान किये जाने वाले उपाधिपत्रों या प्रमाण—पत्रों या प्रदत्त की जाने वाली उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं की मान्यता वापस लिये जाने के आदेश करेगी.

(7) उपधारा (6) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, मध्यप्रदेश विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी.

राज्य सरकार की शक्तियां

[12]37—ख राज्य सरकार को निम्नलिखित शक्तियां होगीं, अर्थात् :—

(क) कुलाधिपति की नियुक्ति का अनुमोदन करना;

(ख) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए, नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी बात को करने के लिये निदेश जारी करना या उसके किसी अतिक्रमण का परिशोधन करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय, आयोग या किसी अन्य विशेषज्ञ निकाय के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करना और ऐसे विवादों पर उसके विनिश्चयों का अनुपालन करने हेतु निदेश जारी करना;

(घ) विशिष्ट विषयों पर धारा 24 के अधीन परिनियमों को विरचित करने का आदेश देना;

(ड.) सामान्यतः ऐसे आदेश जारी करना, जैसा कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है.

संक्रमणकालीन उपबंध

38. इस अधिनियम तथा परिनियमों में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी, –

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा;

(ग) प्रथम प्रबंध बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेंगे;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् तथा प्रथम योजना बोर्ड को कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लए नामनिर्दिष्ट किया जाएगाः

परंतु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कुलाधिपति द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या

नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह अधिकारी या व्यक्ति, जिसके स्थान पर यह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है ऐसा पदधारण किए रहता, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती.

परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा

39. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, मध्यप्रदेश विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों को ऐसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति आती है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की तारीख नहीं होगी, परन्तु किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

---

[1] –[12] महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1999